

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर
गुरुद्वारासिंह सभा सुन्दरपुरा वगैरा बनाम ग्रा0पं0मोरजण्डखारी वगैरा
निगरानी पंचायत प्रकरण सं052/2016

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
13.10.16	निगरानीकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित। निगरानी बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निगरानी में मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए निगरानी दर्ज रजिस्टर की जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। ग्राम पंचायत का निगरानी से संबंधित रेकार्ड तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 23-11-16 को पेश हो।	N-3. 21.10.16
23.11.16	नि०कर्ता के Adv-उप०। अप्रार्थी सं० एक सुरपंच स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी सं० को और से कोई डाजिर नहीं - न ही नोटिसबाद। उद्देश्य तामीव फलत हुआ है। निगरानी से संबंधित रेकार्ड पेश करने के लिए सचिव को पावन्द किया गया। पत्रावली दि० 27-12-16 को पेश हो।	23/11/16
27.12.16	पत्रावली के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण अब अधिवक्ता उपस्थित नहीं आ रहे हैं। निरालीन अधिकारी प्रशा० कार्यों में व्यस्त। पत्रावली दिनांक 07.02.17 को पेश हो।	
7.02.17	नि०कर्ता के अधिवक्ता उप०। अप्रार्थी सं०। व 2 उप० नहीं। सचिव को रिपोर्ट के तुरमाय पर पावन्द किया गया। पत्रावली दिनांक 06.03.17 को पेश हो।	
6.3.17	नि०कर्ता के Adv-उपस्थित। अप्रार्थी सं०। व 2 को और से कोई डाजिर नहीं। रेकार्ड फलत नहीं - फलत तलब करें। पत्रावली दि० 6.4.17 को पेश हो।	

Diary
No.

Continuation Note Sheet

Gen. No.

15.04.26

अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित रिपोर्ट हेतु पुनः
लिखा जावे पत्रावली अर्न्त रिपोर्ट तलवी
दिनांक 02.06.26 को पेश की

21/6/2026

पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता स्वयं एवं अधिवक्ता
निगरानीकर्ता उपस्थित नहीं। अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं
निगरानीकर्ता स्वयं को पृथक-पृथक समय पर रुक-रुक कर
बार-बार आवाजे लगाई गई, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। ऐसी
स्थिति में निगरानी अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की
जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ
भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फौसल शुमार
की जाकर नम्बर से कम की जावे व बाद तकमील जिला
अभिलेखागार में जमा कराई जावे।

आदेश सुनाया गया।

3
(सुभाष कुमार)

अति० जिला कलक्टर
अति० जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर
श्रीगंगानगर